



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 438 राँची, गुरुवार,

27 जुलाई, 2023 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संशोधित संकल्प
27 जुलाई, 2023

संख्या02/कृ०गो०रा०-33/2019-1889/कृ०--चूंकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री राजीव कुमार, तत्कालीन संयुक्त ईखायुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, OFAJ, राँची, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय आदेश के विपरीत अपने स्तर से ही M/s LACGENE Technologies Private Limited, Surat के सहयोग से डी०बी०टी० के स्थान पर लाभुक किसानों का HDFC बैंक से अलग - अलग CUG स्वैप कार्ड बनवाकर स्वैप मशीन के माध्यम से M/s LACGENE Technologies Private Limited, Surat के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर राशि का बंदरबांट किया गया। इससे राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान हुआ एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धराशायी हो गयी। उक्त से संबंधित आरोपों के संदर्भ में गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में सन्निहित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-1764 दिनांक-08.10.2021 एवं संशोधित संकल्प संख्या-373 दिनांक- 25.02.2022 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गौरी शंकर मिंज विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं डॉ॰ एम॰एस॰ए॰ महालिंगा शिवा, उप कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण)-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री गौरी शंकर मिंज भा॰प्र॰से॰ (से॰नि॰), संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा दिनांक-16.09.2022 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप पत्र में गठित तीनों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव-बयान को स्वीकार योग्य बताया गया।

विभाग स्तर पर जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी और यह पाया गया कि संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में साक्ष्यों की पूर्ण समीक्षा नहीं की गयी और इस मामले में संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी से पुनर्समीक्षा का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 715 दिनांक-16.03.2023 के द्वारा प्रस्तुत मामले में पुनर्समीक्षा हेतु श्री कमल जॉन लकड़ा सेवानिवृत्त भा॰प्र॰से॰, नगर प्रशासन भवन, एच॰ई॰सी॰, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं श्री एम॰एस॰ए॰ महालिंगा शिवा, उप कृषि निदेशक पौधा संरक्षण-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज को विभागीय प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया था। वर्तमान में श्री शिवा के दिनांक-30.06.2023 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार सिन्हा, अधिसूचित प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल, राँची सम्प्रति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज (OFAJ), झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-715 दिनांक-16.03.2023 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार झा,
सरकार के उप सचिव।
